आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार

(संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व)

और

भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर

(संस्थान के निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व)

के बीच

समझौता ज्ञापन

यतः

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के सफल कार्यान्वयन के 7 साल बाद 1 अक्तूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की शुरूआत की गई । मिशन के दूसरे चरण को राज्यों और यूएलबी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, आईईसी/बीसीसी और क्षमता निर्माण में लागू करने के लिए एक व्यापक और विस्तारित अधिदेश के साथ तैयार किया गया है। प्रमुख क्षेत्रों में इन प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू करने और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत मानव संसाधनों को उत्कृष्ट क्षमताओं से लैस किया जाए। दीर्घ अवधि के लिए क्षमता निर्माण हेतु विशेष रूप से निर्मित और सर्वोत्तम श्रेणी के समाधानों हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता वाले विशेष संस्थानों की आवश्यकता है। उत्कृष्टता केंद्र को अभी हाल ही में शुरू किए गए कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा (नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क फॉर गारबेज फ्री सिटीज) के तहत पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के एक प्रमुख उपाय के रूप में भी शामिल किया गया है।

स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रबंधकीय कुशलताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए देश में इस प्रकार की क्षमता विकसित करने वाले ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है, देश में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की योजना बनाने, विकास करने, नवाचार करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए संस्थानों की क्षमता को विकसित करने हेतु इतने बड़े निवेश की परिकल्पना की जा रही है। इस क्षमता को विकसित करने की दिशा में अन्य बातों के अलावा, शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सहायता से इन संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण है, में पिछले 6 वर्षों से पहली रैंकिंग को बनाए रखा है, इसलिए उसे मॉडल शहरी स्थानीय निकाय के तौर पर देखा गया है। इसलिए, इंदौर को शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सफलता और नवाचार प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है जो प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए मॉडल व्यावहारिक आधार बन जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि चयनित केंद्र देश में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित संसाधन संस्था बन जाएगा।

आईआईएम इंदौर और सीओई का सिंहावलोकन:

1996 में अपनी स्थापना से, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर (आई आई एम, इंदौर) एक ऐसे बिजनेस स्कूल और अग्रणी अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरा है, जो विश्व स्तर के शैक्षणिक मानकों के साथ प्रासंगिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली नवाचार समाधानों और प्रायोगिक पहल परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण

में योगदान देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। यह संस्था सामाजिक रूप से जागरूक नेताओं, प्रबंधकों और उद्यमियों को विकसित करने का प्रयास करती है- जो न केवल उद्योगों और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करते हैं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्र निर्माण और सुशासन की दिशा में प्रयास करते हैं।

इंदौर शहर, हाल के वर्षों में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी के रूप में उभरा है जिसने ठोस अपशिष्ट के स्वच्छ और सुस्थिर प्रबंधन में विभिन्न नवाचार प्रस्तुत किए हैं। पिछले 6 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार प्रथम स्थान से सम्मानित किए जाने के कारण इंदौर द्वारा शहरी परिवर्तन में अपनाया गया मॉडल देश के अन्य शहरों द्वारा प्रतिकृति किए जाने योग्य है।

आई आई एम इंदौर ने इंदौर नगर निगम के साथ एक कार्यनीतिक और सहयोगी साझेदारी विकसित की है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों भागीदारों के पूरक क्षेत्रीय ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है और पूरे देश में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सफल इंदौर मॉडल का विस्तार करने और प्रतिकृति बनाने में मदद करना है। जबकि आईआईएम इंदौर मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास भागीदारों के साथ ज्ञान प्रबंधन और कार्यनीतिक भागीदारी का संचालन करता है इंदौर नगर निगम कार्य क्षेत्रों में ऑन-ग्राउंड और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक व्यावहारिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) इस प्रकार इंदौर नगर निगम के साथ घनिष्ठ सहयोग और सहभागिता में वृद्धि करेगा और उसे कार्य में शामिल करेगा और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी प्रशासन पारिस्थितिकी तंत्र में यूएलबी के प्रमुख अधिकारियों और शहरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त संसाधनों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करेगा।

अतएव अब से,

एक ओर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और दूसरी ओर आई आई एम, इंदौर निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं

1.1 "आईआईएम इंदौर में सीओई": इस समझौते के अनुपालन में शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए इस सहयोग के माध्यम से आई आई एम इंदौर में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में स्थापित किया गया उत्कृष्टता केंद्र।

1.2 "एमओएचयूए": आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

1.3 "आई आई एम-इंदौर": आई आई एम इंदौर।

1.4 "अनुदान"; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्तकर्ता को किया गया सहायता अनुदान।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की भूमिका

2.1 इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आई आई एम-इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन - शहरी के तहत शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सीओई की स्थापना और कामकाज के लिए आईएम-इंदौर को 19.95 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान को मंजूरी देने के अपने समझौते की पुष्टि करता है।

2.2 अनुदान का संवितरण निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:

(क) 8.80 करोड़ रुपये (केवल आठ करोड़ और अस्सी लाख रुपए) की पहली किस्त का संवितरण किया जाएगा।
(ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र और विशिष्ट डिलिवरेबल्स जमा करने पर 5.65 करोड़ रुपये (केवल पांच करोड़ और पैंसठ लाख रुपये) की दूसरी किस्त का संवितरण किया जाएगा।
(ग) उपयोगिता प्रमाण पत्र और विशिष्ट डिलिवरेबल्स जमा करने पर तीसरे वर्ष के लिए स्वीकृत 5.50 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से 2.75 करोड़ (केवल दो करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये) की तीसरी किस्त का संवितरण किया जाएगा।
(घ) अंतिम वास्तविक और वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन और स्वीकृति के बाद 2.75 करोड़ रुपये (केवल दो करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये) की शेष राशि का संवितरण किया जाएगा।
(ङ) सीओई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए कार्मिकों की तैनाती और संसाधनों के उपयोग सहित वार्षिक आधार पर एक कार्य योजना तैयार करेगा।

2.3 सीओई को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 से 3 साल की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

2.4 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वर्ष की वित्तीय तिमाही के पहले सप्ताह में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और अगले वर्ष के लिए वार्षिक योजना को मंजूरी देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक से पहले, आईआईएम इंदौर का सीओई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को एक वार्षिक कार्य योजना और एक वार्षिक परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2.5 अध्ययन रिपोर्ट/कागजात, अनुसंधान दस्तावेज/जानकारी, सीओई के पेटेंट योग्य आविष्कार की खोज सहित सभी परियोजना परिणाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और आईआईएम इंदौर के संयुक्त स्वामित्व अधिकार बन जाएंगे।

2.6 उपरोक्त अनुदान निम्नलिखित शर्तों के भी अधीन स्वीकृत किया गया है:

(क) समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान राशि को जारी करना विनियमित किया जाएगा।
(ख) इस अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली इस प्रकार की अन्य शर्तों के अधीन होगा।
(ग) कुछ मदों जैसे पूंजी गहन उपकरणों की खरीद, फर्नीचर/फिक्सचर की खरीद और भवन निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
(घ) संगठन/संस्थान के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर किए जाने वाले व्यय के लिए 6.15 करोड़ रुपये (अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार) से अधिक सहायता अनुदान नहीं होना चाहिए।
(ङ) अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन/संस्थान को गवर्निंग काऊंसिल की अनुमति के बिना अनुदान को डायवर्ट करने या योजना के निष्पादन या संबंधित कार्य को किसी अन्य संस्थान/संगठन को नहीं सौंपना चाहिए, और सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करना चाहिए।

(च) इस अनुदान द्वारा निर्मित अथवा प्राप्त वास्तविक संपत्ति का स्वामित्व मंत्रालय में निहित होगा और प्राप्तकर्ताओं को अपनी लेखा खातों में उसे अपनी संपत्ति के रूप में नहीं दिखाना चाहिए बल्कि विशेष रूप से लेखा खातों में ऐसी संपत्ति अपने पास होने और उपयोग करने का खुलासा करना चाहिए।

3. आईआईएम- इंदौर की भूमिका

उत्कृष्टता केंद्र मुख्य रूप से शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित होगा, जिसका विस्तार रणनीति, योजना और बुनियादी ढांचा प्रबंधन, सेवा प्रदायगी आदि तक होगा।

i. उत्कृष्टता केंद्र स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को समग्र रूप से विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और यूएलबी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

ii. उत्कृष्टता केंद्र शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समग्र पहल के लिए महापौरों और वार्ड पार्षदों सहित शहरी स्तर पर राजनेताओं के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा, जिससे वे संवेदनशील बनेंगे और उनका क्षमता निर्माण होगा।

iii. उत्कृष्टता केंद्र ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और सहयोग के अवसर तलाशने की पहल करके एक तरफ नगर निगमों और स्थानीय निकायों और दूसरी तरफ व्यापार और सेवा संगठनों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा।

iv. उत्कृष्टता केंद्र नगर निगम और नागरिक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से निधियों के प्रयोग पर प्रबंधन विशेषज्ञता और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करवाने और यूएलबी को कॉर्पोरेट भागीदारों से सहायता लाभ दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

v. उत्कृष्टता केंद्र शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला के कार्यात्मक क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में विकसित होगा, जिसमें अन्य पहलुओं के साथ साथ संचालन और रखरखाव मॉडल, सेवा प्रदायगी में वृद्धि, नागरिकों के बीच परस्पर संबद्धता शामिल होंगे।

vi. केंद्र प्रशासकों, प्रबंधकीय और कार्यकारी कैडर और निगमों और स्थानीय निकायों के फ्रंटलाइन कार्मिकों के लिए सार्वजनिक नीति, शहरी प्रशासन और परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रासंगिक, पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों प्रकार के विश्व स्तर के अकादमिक कार्यक्रम उपलब्ध करवाएगा।

4. मॉडिलिटीज

4.1 उत्कृष्टता केंद्र आईआईएम इंदौर में और इसमें उपलब्ध बुनियादी ढांचे की परिसीमा में स्थापित किया जाएगा जिसमें स्मार्ट क्लासरूम शामिल होंगे जिनमें अभिनव मॉडलों का प्रशिक्षण प्रभावी रूप से दिया जा सकता है और केंद्र प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी वैश्विक भागीदारों को समेकित रूप से एकीकृत करेगा।

4.2 उत्कृष्टता केंद्र एक इनक्यूबेशन केंद्र भी स्थापित करेगा और तकनीकी स्टार्ट अप को भी इनक्यूबेट करने के लिए आईआईटी – इंदौर के साथ अपनी भागीदारी का प्रयोग करेगा।

5. सीओई के तहत करवाए जाने वाले कार्यक्रम और पाठ्यक्रम

क. नगर निगमों के लिए रणनीतिक सोच, परिवर्तन प्रबंधन और सेवा प्रदान करने में प्रबंधकीय क्षमता निर्माण तीन प्रकार के मॉडल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ राज्य और नगरपालिका अधिकारियों और शहर स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित किए और उन्हें दिए जाएंगे।

i. कक्षा आधारित मॉडल; वरिष्ठ राज्य और नगरपालिका अधिकारी आईआईएम इंदौर में सीओई द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में भाग लेंगे। यह पाठयक्रम इंदौर में, एक अनुभव प्रदान करने देने वाली शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की गहरी समझ प्रदान करेगा, जो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्य किए जाने वाले क्षेत्रों में वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए व्यावहारिक प्रयोगशाला है।

ii. ई-लर्निंग मॉडल: भारत में 4700+ यूएलबी का लक्ष्य रखते हुए, ई-लर्निंग मॉडल को एक विशिष्ट डिजिटल मॉड्यूल के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे स्व-गति मूल्यांकन सहित प्रशिक्षक व्याख्यान मॉड्यूल, इन्फोग्राफिक-आधारित वीडियो सामग्री और पठन सामग्री समर्थित (अकादमिक पत्र, लेख, सर्वोत्तम अभ्यास) संयोजन के रूप में डिजाइन किया जाएगा। इस मॉडल में पाठ्यक्रम के दो सेट शामिल होंगे: प्रारंभिक प्रशिक्षण और वॉश विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

- **एसबीएम-यू 2.0 प्रारंभिक पाठ्यक्रम:** स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और इसके प्रमुख उद्देश्य से परिचित होने के लिए राज्य और नगर निगम के अधिकारियों के लिए एक **प्रारंभिक पाठ्यक्रम** । पाठ्यक्रम एसबीएम-यू 2.0 के प्रमुख कार्यक्रम संबंधी मूल बिंदुओं के एक संक्षिप्त सारांश की जानकारी देगा, यह उन ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्रों और कार्यों का एक संक्षिप्ति होगी, जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मिशन द्वारा अनिवार्य किए गए हैं और यह वित्त फ्लो सहित मिशन के वर्क फ्लो और परिचालन दिशानिर्देशों की अनिवार्य अन्य मुख्य विशेषताओं से अधिकारियों को परिचित कराएगा।

- **एसबीएम-2.0 के तहत विशिष्ट पाठ्यक्रम:** इसमें एसबीएम-यू 2.0 के विभिन्न पहलुओं पर 4 मॉड्यूल शामिल होंगे, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का व्यापक परिचय और अभिविन्यास, प्रयुक्त जल प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रथाओं यूज केस बिजनेस माडल और सर्विस डिलिवरी माडल की जानकारी सहित आईईसी और क्षमता निर्माण।

iii. **मिश्रित शिक्षण मॉडल:** मॉडल के इस प्रकार में हायब्रिड मिश्र में पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें ई लर्निंग मॉडयूल होगा और इसके बाद इंदौर नगर निगम (आईएमजी) की साझेदारी में व्यवहारिक क्षेत्र दौरा करवाया जाएगा। इस मॉडल की परिकल्पना इच्छुक हितधारकों को दीर्घकालिक सुगमता देने और अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता देने के लिए की गई है।

iv. कार्यशाला को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को आईआईएम इंदौर द्वारा प्रत्यायित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

ख. क्षमता निर्माण मॉडल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, सीओई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए अपने तीन साल के वित्त पोषण से निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगा

i. **अध्ययन सामग्री विकास और खरीद:** सीओई क्षमता निर्माण के तीन मॉडलों के लिए लर्निंग सामग्री के विकास में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का निवेश करेगा।

ii. अकादमिक सहायता के लिए अनुसंधान और अन्य संबद्ध व्यय: क्षमता निर्माण मॉडल के लिए विषय सूची और सामग्री तैयार करने के अलावा, सीओई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, आईईसी और क्षेत्र में नवाचारों से संबंधित अनुसंधान करेगा। केंद्र अग्रणी अनुसंधान विधियों का उपयोग करके मात्रात्मक, गुणात्मक और मामला आधारित अनुसंधान परियोजनाओं सहित वॉश में सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रायोजित अनुसंधान आदि) में सहायता प्रदान करेगा और इनका संचालन करेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के शोध का परिणाम उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन, श्वेत पत्र और रिपोर्ट और केस स्टडी बनेंगे।

iii. ई-लर्निंग सामग्री का सृजन और प्रबंधन: ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीओई प्रशिक्षण सामग्री से लेकर पाठ्यक्रम लेआउट और इसकी संरचना, पाठ्यक्रम रिपोर्टों तक, पाठ्यक्रम बनाएगा और प्रबंधित करेगा। यह वॉश से संबंधित सभी ई-लर्निंग सामग्रियों के लिए वन-शॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। पहले वर्ष में प्रारंभिक और विकास चरण एक उच्च अग्रिम लागत लगेगी, इसके बाद ई-लर्निंग संसाधन के उपयोग और अद्यतन करने के लिए एक बुनियादी संचालन लागत लगेगी।

iv. छात्र प्रतियोगिता (उदाहरण के लिए, केस स्टडी प्रतियोगिता, आईआईटी इंदौर आईटीसी के सहयोग से हैकाथॉन आदि): विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर की प्रतियोगिताएं युवाओं की भागीदारी और नवाचार का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आमेलन मंच है जिसका उद्देश्य एक वातावरण तैयार करना है, जो उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से छात्र प्रतियोगिताएं आयोजित करने के पीछे मूल भावना है। आईआईएम इंदौर के एक राष्ट्रीय संस्थान होने के कारण वॉश से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए इसका लाभ उठाया जाएगा।

v. आईआईटी इंदौर के साथ साझेदारी में इनक्यूबेटर सेल: इनक्यूबेशन सेल (आईआईटी इंदौर सीओई के साथ) का उद्देश्य उद्यमशीलता की प्रतिभा को विकसित करना और वॉश आधारित नए विचारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। आईआईटी इंदौर एक तकनीकी संस्थान होने के नाते व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन और आईईसी से संबंधित नवाचारों में बहुत समय से अपेक्षित आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में सक्षम होगा। इसे, जब आईआईएम-इंदौर के बिजनेस स्टूडेंट्स के मार्केटिंग और बिजनेस स्किल्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो वॉश से संबंधित मुद्दों के संभावित समाधान के लिए बड़े जनसमूह को इसमें शामिल करने में मदद मिलेगी।

ग. निम्नलिखित कार्यक्रम एक साथ चलेंगे और सीओई के शुरु होने के पहले वर्ष के बाद सीओई की स्वचालिता को बढाएंगे।

क) सीओई निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ-साथ स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर काम करने वालों के लिए अल्पकालिक नेतृत्व और विकास कार्यक्रम शुरु करेगा।

ख) सीओई ऑनलाइन, ब्लेंडेड इन-पर्सन मोड के माध्यम से शहरी परिवर्तन में लंबी अवधि की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी डिजाइन और प्रदान करेगा। इनमें निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम शामिल होंगे (गैर-विस्तृत सूची):

ग) सीओई प्रमुख निगमों और सेवा संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करेगी ताकि संयुक्त उद्यम किए जा सके जो विभिन्न शहरों और कस्बों के लिए नगरपालिका और नागरिक सेवाएं प्रदान करने को कार्यकुशल बनाएंगे।

- ऐसे गठजोड़ में भागीदार संस्थाएं ग्राहक शहरों के लिए नागरिक सेवाओं के परिवर्तन और प्रबंधन से संबंधित निवेश करेंगी।
- आईआईएम इंदौर ग्राहकों (नगर निगमों) को प्रबंधन विशेषज्ञता प्रदान करेगा और कॉर्पोरेट भागीदार द्वारा प्रदान की गई निधियो के उपयोग का प्रबंधन करेगा [जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में बताया गया है]।

घ) शहरी परिवर्तन, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के बारे में ज्ञान सृजन, संचित और प्रसारित करने के लिए इंदौर नगर निगम के साथ गठबंधन करना।

ङ) नगर निगमों और स्थानीय निकायों जैसे संभावित शहरी परिवर्तन लक्ष्यों के प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने के लिए मूल्यांकन (सीईएनए फ्रेमवर्क) और नैदानिक सर्वेक्षण कराना।

च) शहरी परिवर्तन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करे हुए गहराई से समझने और समस्या को चिह्नित करने पर नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों को विश्व स्तरीय परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

छ) वॉश में गतिविधियों, कार्यक्रमों और विकास पर व्यापक चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुसंधान सेमिनार, सम्मेलन और कानक्लेव आयोजित करना।

6. संस्थागत संरचना और कार्यक्रम की निगरानी

6.1 उत्कृष्टता केंद्र आईआईएम इंदौर द्वारा निर्धारित अकादमिक नियमों और विनियमों के अनुसार काम करेगा। तथापि, केंद्र की गतिविधियों की समीक्षा एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा की जाएगी। गवर्निंग काउंसिल साल में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

6.2 निदेशक, आईआईएम इंदौर की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल दिशा-निर्देश, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में केंद्र को मार्गदर्शन और सलाह देगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा जगत और अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों के प्रतिनिधि परिषद के सदस्य हैं।

क) अध्यक्ष: संस्थान के निदेशक / विभाग प्रमुख

ख) सदस्य जो शामिल होंगे:

i. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

ii. सचिव, शहरी विकास विभाग, मध्य प्रदेश

iii. दो/तीन विशेषज्ञ संयोजक: सीओई के प्रमुख

ग) संस्थान शिक्षा, उद्योग और सरकार के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है। तथापि, काउंसिल अधिकतम 11 सदस्यों तक सीमित होनी चाहिए।

घ) गवर्निंग काउंसिल गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

ड.) केंद्र के संचालनों के प्रमुख के रूप में एक समन्वयक

च) निदेशक आईआईएम इंदौर द्वारा बनाई गई संकाय सदस्यों की एक टीम केंद्र की कार्यकारी समिति (ईसी) का एक हिस्सा बनेगी।

छ) इंदौर नगर निगम के प्रतिनिधि कार्यकारी समिति का हिस्सा होंगे।

6.3 गवर्निंग काउंसिल अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने के लिए विशिष्ट कार्यों/ नियत कार्यों के लिए समिति/समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

7. खाते और वित्तीय प्रबंधन

7.1 उत्कृष्टता केंद्र इस प्रस्ताव के हिस्से के रूप में प्राप्त धन का व्यय करते समय वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं के उच्च मानकों का पालन करेगा। स्वीकृत राशि को एक अलग खाते में रखा जाएगा और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा इसका ऑडिट किया जाएगा।

7.2 अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसके प्रयोग को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार योजना की अवधि समाप्त होने पर निधि का जो भी भाग अनुप्रयुक्त रह गया है उसे भारत सरकार को तत्काल लौटा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा और संस्थानों/संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा।

7.3 अनुदान के खातों का निर्धारित तरीके से रखरखाव किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा जांच के लिए खाते हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेकाधिकार पर लेखापरीक्षा करने के लिए भी उपलब्ध होंगे।

7.4 अनुदान खातों की लेखा परीक्षा आयोजक संस्था पर लागू नियमों के अनुसार वित्त वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद की जानी चाहिए। यह अनुप्रमाणित करते हुए कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) सहित लेखापरीक्षित खाता इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

7.5 अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन/संस्थान को बिना गवर्निंग काऊंसिल की अनुमति के योजना का कार्यान्वयन या संबंधित कार्य किसी अन्य संस्थान/संगठन को नहीं सौंपना चाहिए और सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों का भी पालन करना चाहिए।

7.6 इस सहायता अनुदान से सृजित या प्राप्त भौतिक संपत्ति का स्वामित्व मंत्रालय का रहेगा और प्राप्तकर्ताओं को ऐसी संपत्तियों को अपने लेखा खातों में अपनी संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से खातों के नोट में ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में अपने अधिकार और उपयोग का खुलासा करना चाहिए।

8. अवधि, प्रभावी तारीख, समझौता ज्ञापन की समाप्ति

8.1 मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र को 2022-23 से 3 वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

8.2 तथापि, वित्तीय सहायता 2025-26 तक संवितरित की जाएगी, उत्कृष्टता केंद्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रारंभिक वर्षों की तरह नियमित आधार पर तकनीकी सहायता और सलाह देना जारी रखेगा।

9. संशोधन और परिवर्तन

9.1. इस समझौते में कोई भी संशोधन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इसे विशेष रूप से समझौते का संशोधन बताते हुए लिखित रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। संशोधन/परिवर्तन समझौते का भाग होंगे और अन्यथा सहमति होने पर संशोधन/परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होंगे।

10. विविध

10.1. इस समझौता ज्ञापन में निहित किसी भी उपबंध को दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की साझेदारी करना अथवा संयुक्त उद्यम नहीं माना जाएगा, और इस समझौता ज्ञापन में किसी भी उपबंध को अन्य पक्ष की लिखित सहमति के बिना एक पक्ष का दूसरे पक्ष के लिए एजेंट अथवा कर्मचारी होना या एक पक्ष को दूसरे पक्ष की ओर से किसी प्रकार के व्यक्त करने या अन्य पक्ष की ओर से किसी प्रकार की साझेदारी हेतु प्राधिकृत करना नहीं माना जाएगा।

10.2. इस समझौता ज्ञापन के कारण अथवा इसके संबंध में अथवा उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी विवाद के संबंध में स्वतंत्रता, पारस्परिक सम्मान और साझा जिम्मेदारी के बावजूद निदेशक, आईआईएम इंदौर और संयुक्त सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से प्राधिकृत होंगें।

दोनों पक्षों के साक्ष्य में, यह समझौता ज्ञापन चार (4) प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया l

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2022

पक्षकार के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए

(रूपा मिश्रा)
संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन- शहरी
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

आईआईएम-इंदौर के लिए

(हिमांशु राय)
निर्देशक
भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर